प्रेस नोट दिनांक 09.09.2025 जनपद प्रतापगढ़

थाना मान्धाता जनपद प्रतापगढ़ ।

प्रतापगढ़ पुलिस का खुलासा: झूठी गोलीकाण्ड की सच्चाई, अभियुक्त स्वयं निकला तमंचे से घायल
मान्धाता पुलिस की बड़ी सफलता : झूठी कहानी गढ़ने वाला अभियुक्त नाजायज तमंचा व कारतूस संग गिरफ्तार
मान्धाता पुलिस की कार्यवाही : अवैध तमंचा व कारतूस बरामद, अभियुक्त गिरफ्तार
झूठी कहानी से पुलिस को गुमराह करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार, अवैध शस्त्र संग बरामदगी

घटना का संक्षिप्त विवरणः-
थाना मान्धाता पर दिनांक 05.09.2025 को आवेदक गुलफाम अली पुत्र बाद अली निवासी ग्राम पीतईपुर थाना मान्धाता जनपद प्रतापगढ़ द्वारा एक लिखित तहरीर प्रस्तुत की गई कि दिनांक 04.09.2025 को सायं लगभग 19.00 बजे नदी के किनारे, ग्राम पीतईपुर के पास दो अज्ञात व्यक्ति मोटरसाइकिल से आकर वादी के भतीजे मो0 साहिल पुत्र गुलशन को जांघ में गोली मारकर फरार हो गए। घटना में घायल मो0 साहिल को तत्काल सीएचसी मान्धाता भेजा गया था, जहां से उपचार हेतु जिला अस्पताल प्रतापगढ़ रेफर किया गया। तहरीर के आधार पर थाना मान्धाता पर मु0अ0सं0 114/25 धारा 109(1) बीएनएस पंजीकृत किया गया है।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा जनपद में अपराध एवं आपराधिक गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री शैलेन्द्र लाल व क्षेत्राधिकारी रानीगंज श्री विनय प्रभाकर साहनी के पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष मान्धाता श्री अरविन्द कुमार सिंह के नेतृत्व में दिनांक 08.09.2025 को थाना मान्धाता पुलिस टीम उ0नि0 मृत्युंजय पाण्डेय मय हमराह निरीक्षक सुधीर कुमार पाण्डेय एवं का0 हरिपाल द्वारा प्रभावी कार्यवाही की गई।

दिनांक 04.09.2025 को अभियुक्त साहिल पुत्र मोहम्मद गुलशाद निवासी ग्राम पितईपुर थाना मान्धाता के घायल होने की सूचना थाना मान्धाता पर प्राप्त हुई थी। प्रारंभिक पूछताछ में अभियुक्त ने पुलिस को भ्रामक व झूठी कहानी बताई थी। लेकिन आज दिनांक 08.09.2025 को जिला अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद पुनः पूछताछ में अभियुक्त ने सच्चाई स्वीकार की कि घटना के दिन वह अपने पास मौजूद नाजायज तमंचा .315 बोर को खोलने का प्रयास कर रहा था। इसी दौरान तमंचे से अनजाने में गोली चल गई, जिससे वह स्वयं ही घायल हो गया।

डर व पकड़े जाने के भय से अभियुक्त ने तमंचे को छिपाने के लिए पास की झाड़ियों में फेंक दिया था और झूठी कहानी गढ़कर पुलिस व परिजनों को गुमराह किया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-
साहिल पुत्र मोहम्मद गुलशाद निवासी ग्राम पितईपुर थाना मान्धाता जनपद प्रतापगढ़ उम्र लगभग 22 वर्ष

बरामदगी का विवरणः-
अभियुक्त की निशानदेही पर पुलिस टीम द्वारा घटनास्थल पर तलाशी ली गई, जहां से एक अदद नाजायज तमंचा .315 बोर एवं एक अदद खोखा कारतूस बरामद किया गया। तमंचे की जाँच करने पर यह चालू हालत में पाया गया।

विधिक कार्यवाहीः-
अभियुक्त को उसके अपराध से अवगत कराते हुए अभियोग उपरोक्त में धारा 217 बीएनएस एवं 3/25 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत विधिक कार्यवाही की जा रही है। तथा धारा 109(1) बीएनएस का लोप किया गया है। अभियुक्त को जेल भेजने की प्रक्रिया प्रचलित है।

पुलिस टीमः-
उ0नि0 मृत्युंजय पाण्डेय मय हमराह निरीक्षक सुधीर कुमार पाण्डेय एवं का0 हरिपाल थाना मान्धाता जनपद प्रतापगढ़

थाना- कोहंडौर, जनपद-प्रतापगढ़

थाना कोहंडौर पुलिस को बड़ी सफलता – चोरी से संबंधित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार
थाना कोहंडौर पुलिस द्वारा गिरफ्तार 01 अभियुक्त के कब्जे से चोरी की 01 अदद मोटर साइकिल स्पेण्डर प्लस(कूटरचित नंबर प्लेट) बरामद
थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा अभियुक्त को थाना कोहंडौर क्षेत्रान्तर्गत पूरे कोलाहल बैरियर के पास, बहद ग्राम पूरे कोलाहल से गिरफ्तार
अभियुक्त द्वारा चोरी की उक्त मोटर साइकिल को नवजीवन अस्पताल पयागीपुर मोड जनपद सुल्तानपुर से चोरी की दी थी, जिसके संबंध में थाना थाना कोतवाली नगर जनपद सुल्तानपुर में अभियोग पंजीकृत है-

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक (पूर्वी) श्री शैलेन्द्र लाल व सहायक पुलिस अधीक्षक नगर/क्षेत्राधिकारी नगर श्री प्रशान्त राज के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी कोहंडौर श्री धनन्जय राय के नेतृत्व में थाना कोहंडौर के उ0नि0 सुजीत कुमार यादव मय हमराह का राहुल कुमार, का0 विपिन कनौजिया द्वारा चेकिंग सदिग्ध व्यक्ति, सदिग्ध वाहन के दौरान, 01 अभियुक्त इमरान खान पुत्र मोहसिन खान उम्र 20 वर्ष निवासी ग्राम बिजरा थाना कोहंडौर जनपद प्रतापगढ़ को चोरी की 01 अदद मोटर साइकिल स्पेण्डर प्लस(कूटरचित नंबर प्लेट) के साथ थाना कोहंडौर क्षेत्रान्तर्गत पूरे कोलाहल बैरियर के पास, बहद ग्राम पूरे कोलाहल से गिरफ्तार किया गया है।

अभियुक्त के कब्जे से चोरी की 01 अदद मोटर साइकिल स्पेण्डर प्लस की बरामदगी के संबंध में थाना कोहंडौर में मु0अ0सं0 136/2025 धारा 317(2),336(2),338 बीएनएस थाना कोहंडौर जनपद प्रतापगढ़ का अभियोग पंजीकृत किया गया है।

चोरी की उक्त मोटर साइकिल के संबंध में जानकारी की गई तो अभियुक्त द्वारा दिनांक 12/05/2025 को नवजीवन अस्पताल पयागीपुर मोड जनपद सुल्तानपुर के पास से चोरी की थी। जिसके संबंध में दिनांक 14/05/2025 को थाना कोतवाली नगर जनपद सुल्तानपुर मे मु0अ0सं0 376/2025 धारा 303 (2)बीएनएस का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ पर बताया कि कि मैंने यह गाड़ी करीब 03 माह पूर्व पयागीपुर चौराहा के पास नवजीवन अस्पताल सुल्तानपुर से चोरी किया था। पकड़े जाने की डर से नंबर प्लेट बदलकर चला रहा था। गाड़ी में थोड़ा बहुत बदलाव भी कर दिया था। जिससे गाड़ी को कोई देखकर पहचान ना हो सके। मुझसे गाड़ी चोरी की गलती हो गई है।

अभियुक्त का विवरण-
इमरान खान पुत्र मोहसिन खान उम्र 20 वर्ष निवासी ग्राम बिजरा थाना कोहंडौर जनपद प्रतापगढ़।

आपराधिक इतिहास-
01. मु0अ0सं0 376/2025 धारा 303 (2)बीएनएस थाना कोतवाली नगर जनपद सुल्तानपुर।
02. मु0अ0सं0 136/2025 धारा 317(2), 336(2),338 बीएनएस थाना कोहंडौर जनपद प्रतापगढ़।

बरामदगी-
चोरी की 01 अदद मोटर साइकिल स्पेण्डर प्लस(कूटरचित नंबर प्लेट)।

पुलिस टीम-
उ0नि0 सुजीत कुमार यादव मय हमराह का राहुल कुमार, का0 विपिन कनौजिया थाना कोहंडौर, प्रतापगढ़।

थाना कंधई, जनपद प्रतापगढ़।
पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ के निर्देशन में थाना कंधई पुलिस द्वारा जमीनी विवाद में मार-पीट करने व हत्या के प्रयास से संबंधित 02 अभियुक्त गिरफ्तार, लकड़ी की पटरी बरामद-
थाना कंधई पुलिस ने दबिश देकर थाना कंधई क्षेत्रान्तर्गत कुकुवार पुल के पास से 02 आरोपी गिरफ्त में-
जमीनी विवाद को लेकर अभियुक्तगण द्वारा वादी व उसके परिजनों के साथ मारपीट एवं हत्या के प्रयास की घटना को अंजाम दिया गया, जिसके संबंध में थाना कंधई पर 10 नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया-

घटना का संक्षिप्त विवरण-
दिनांक 15.06.2025 को वादी निवासी ग्राम वारीखुर्द थाना कंधई जनपद प्रतापगढ़ की भूमि पर जबरन कब्जे का प्रयास अभियुक्तगण द्वारा किया गया। जब वादी द्वारा विरोध करने पर अभियुक्तों ने वादी व उसके परिजनों को लाठी-डंडा, कुल्हाड़ी व अन्य हथियारों से मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया तथा घर में घुसकर तोड़फोड़ कर नुकसान पहुंचाया व जान से मार डालने की धमकी भी दी गई। जिसके संबंध में वादी की तहरीर के आधार पर थाना कंधई में मु0अ0स0 140/25 धारा 3(5)/109/115(2)/352/351(2)(3)/324(4)(5)/333 BNS बनाम 10 नामजद का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री शैलेन्द्र लाल व क्षेत्राधिकारी पट्टी श्री मनोज कुमार सिंह के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी कंधई श्री गुलाब सिंह के नेतृत्व में थाना कंधई के उ0नि0 भूपेशनाथ सिंह

मय हमराह उ0नि0 अमित सिंह हे0का0 बदी नरायण सिंह, का0 रामजी कुशवाहा,का0 पिन्टू चौहान द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वाछित, वारण्टी अभियुक्त, संदिग्ध वाहन, व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर अन्तर्गत मु0अ0स0 140/25 धारा 3(5)/109/115(2)/352/351(2)(3)/324(4)(5)/333 BNS से संबंधित 02 अभियुक्तों, 1. हरिकेश वर्मा पुत्र जयकरनवर्मा निवासी ग्राम वारीखुर्द थाना कंधई जनपद प्रतापगढ उम्र करीब 52 वर्ष 2. विनय वर्मा पुत्र हरिकेश वर्मा निवासी ग्राम वारीखुर्द थाना कधई जनपद प्रतापगढ उम्र 20 वर्ष को थाना कंधई क्षेत्रान्तर्गत कोहंडौर-पट्टी मार्ग स्थित कुकुवार पुल के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त की निशानदेही पर घर के पीछे बसवाड़ी की झाड़ी से 01 लकड़ी की पटरी बरामद किया गया।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्तों ने पूछताछ पर बताया कि दिनांक- 15.06.2025 को मेरे और मेरे पडोसी के बीच जमीन कब्जा करने को लेकर मार-पीट हो गयी थी। जिससे हम लोगो ने उनके घर वालो को लाठी डण्डे से काफी मार-पीट दिया था। उन लोगो को बहुत चोट आयी थी, इसलिये हम लोगो के विरुद्ध थाना कंधई में मुकदमा लिखा गया है। उसी से गिरफ्तारी से बचने के लिए हम दोनो लोग बाहर जा रहे थे कि आप लोगो ने पकड़ लिया।

अभियुक्तों से कडाई से पूछताछ की गयी तो दोनो एक स्वर में बता रहे है कि मेरा और मेरे वादी पडोसी का पुराना जमीनी विवाद चल रहा है। दिनाक 15.06.2025 को समय 07.30 बजे हम लोग उसी विवादित जमीन पर कब्जा करने के लिये अपना ईंट रख रहे थे। तो पडोसी व उसके परिवार के लोगो ने मना किया तो हम दोनो पक्षों में मार पीट हो गयी। मैने व मेरे लडके विनय, विपिन, उमेश, व मेरी बेटी पिंकी व मेरी पत्नी प्रभावति व मेरा भाई उमेश व उसका लडका विवेक व उसकी पत्नी साधना व राज ने मिलकर लाठी-डण्डा से वादी व उसके परिवार को एक राय होकर लाठी डण्डा से मार पीट दिये जिससे उनको काफी चोट लग गयी। मेरा लडका विनय ने एक लकड़ी की पटरी लिया था उसी से वादी की लडकी व वादी के पिता के सिर पर मार दिया जिससे उनका सिर काफी फट गया। जिससे वादी की लड़की व पिता मौके पर ही गिर गये। इतने में मैं और मेरे घर के बृजेश, प्रभावती, साधना, राज, पिंकी उमेश व विवेक हम लो लात घुसा से मारने तथा मेरा दुसरा लड़का विपिन ने बांस का टोटे से उन लोगो का मारा-पीटा, जिससे वादी के भाई का सिर फट गया। अभियुक्त विनय ने बताया कि हम लोगो ने मामला बढ़ता देख उस लकडी की पटरी को अपने घर के पीछे स्थित बसवाडी के बगल में झाडी में छिपा दिया था अगर आप लोग कहे तो मैं उस लकड़ी की फट्टी को बरामद करा सकता हूं। अभियुक्त की निशानदेही पर घर के पीछे बसवाड़ी की झाड़ी से 01 लकड़ी की पटरी बरामद किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1. हरिकेश वर्मा पुत्र जयकरनवर्मा निवासी ग्राम वारीखुर्द थाना कंधई जनपद प्रतापगढ उम्र करीब 52 वर्ष।
2. विनय वर्मा पुत्र हरिकेश वर्मा निवासी ग्राम वारीखुर्द थाना कधई जनपद प्रतापगढ उम्र 20 वर्ष।

बरामदगी-

01 अदद लकड़ी की पटरी बरामद।

पुलिस टीम-

उ0नि0 भूपेशनाथ सिंह मय हमराह उ0नि0 अमित सिंह हे0का0 बदी नरायण सिंह, का0 रामजी कुशवाहा,का0 पिन्टू चौहान थाना कंधई, जनपद प्रतापगढ़।

थाना कुण्डा, जनपद प्रतापगढ़।

थाना कुण्डा पुलिस द्वारा मोबाइल चोरी करने वाला अभियुक्त रूस्तम चोरी के मोबाइल सहित गिरफ्तार-
एसपी प्रतापगढ़ के निर्देश पर चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना कुण्डा पुलिस की बड़ी कार्यवाही-
मोबाइल चोरी कर भाग रहे अभियुक्त को पुलिस ने गिरफ्तार कर, उसके कब्जे से चोरी का मोबाइल बरामद किया-

प्रतापगढ़।
वादी निवासी शान्तीनगर थाना कुण्डा दिनांक 08.09.2025 को अभियुक्त रूस्तम पुत्र मो0 शलीम निवासी पुराना कुण्डा थाना कुण्डा उनके घर की छत के माध्यम से अंदर घुसकर मोबाइल (रेडमी नोट 10 प्रो, नीला आसमानी रंग) चोरी कर रहा था। शोर सुनकर आसपास के लोगों ने उसे मौके पर मोबाइल सहित पकड़ लिया। छत से कूदने के कारण अभियुक्त को पैर में चोट आई। वादी के अनुसार पूर्व में 10.03.2025 को उसके घर से नकदी व आभूषण चोरी हुए थे। जिसके संबंध में वादी की तहरीर के आधार पर थाना कुण्डा में मु0अ0सं0 241/2025 धारा 331(3), 305, 317(2) बीएनएस बना 01 नामजद का अभियोग पंजीकृत किया गया है।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री संजय राय व क्षेत्राधिकारी कुण्डा श्री अमर नाथ गुप्ता के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी कुण्डा श्री अवन कुमार दीक्षित के नेतृत्व में उ0नि0 निर्मल शर्मा मय हमराह का0 अनुज तोमर द्वारा चोरी हुआ 01 रेडमी नोट प्रो के साथ 01 अभियुक्त रूस्तम पुत्र मो0 शलीम निवासी पुराना कुण्डा थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़ उम्र 25 वर्ष को गिरफ्तार किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
रूस्तम पुत्र मो0 शलीम निवासी पुराना कुण्डा थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़ उम्र 25 वर्ष।

पुलिस टीम-
उ0नि0 निर्मल शर्मा मय हमराह का0 अनुज तोमर थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़।

थाना जेठवारा, जनपद प्रतापगढ़।

थाना जेठवारा पुलिस की बड़ी सफलता – दुष्कर्म के प्रकरण में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार
थाना जेठवारा पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त को थाना जेठवारा क्षेत्रान्तर्गत कानूपुर तिराहे के पास से गिरफ्तार किया गया-

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री संजय राय(IPS) व क्षेत्राधिकारी सदर श्रीमती करिश्मा गुप्ता के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी जेठवारा श्री सुभाष कुमार यादव के नेतृत्व में थाना जेठवारा के व0उ0नि0 बलराम सिंह, उ0नि0 लक्ष्मीकान्त शर्मा मय हमराह का0 अर्पित त्रिपाठी, का0 सतीश पाल, मय चालक हे0का0 अशोक सिंह द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त के दौरान, मुखबिर की सूचना पर अन्तर्गत धारा 376 (3)/323 IPC व 3/4 पाक्सो एक्ट से संबंधित 01 अभियुक्त राजेश कुमार सोनी पुत्र भोलानाथ

सोनी उम्र करीब 40 वर्ष नि०ग्राम जेठवारा थाना जेठवारा जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 40 वर्ष को थाना जेठवारा क्षेत्रान्तर्गत कानूपुर तिराहे के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
1. राजेश कुमार सोनी पुत्र भोलानाथ सोनी उम्र करीब 40 वर्ष नि०ग्राम जेठवारा थाना जेठवारा जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 40 वर्ष।

पुलिस टीम का विवरण-
व0उ0नि0 बलराम सिंह, उ0नि0 लक्ष्मीकान्त शर्मा मय हमराह का0 अर्पित त्रिपाठी, का0 सतीश पाल, मय चालक हे0का0 अशोक सिंह थाना जेठवारा जनपद प्रतापगढ़।

थाना संग्रामगढ़, जनपद प्रतापगढ़।
थाना संग्रामगढ़ पुलिस की बड़ी सफलता – दुष्कर्म प्रकरण में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार
थाना संग्रामगढ़ पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त को थाना कुण्डा क्षेत्रान्तर्गत ग्राम पीरा नगर अभियुक्त के घर के पास से गिरफ्तार किया गया-

प्रतापगढ़।
वादिनी निवासी धनगढ़ लोहारन का पुरवा, थाना संग्रामगढ़ द्वारा थाना संग्रामगढ़ पर तहरीर दी गई कि दिनांक 24.03.2025 को उनकी पुत्री को अनुप मिश्रा पुत्र भूरा मिश्रा निवासी पीरा नगर, थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़ बहला-फुसलाकर भगा ले गया। उक्त प्रकरण में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 46/2025 धारा 87 बीएनएस बनाम 01 नामजद अभियोग पंजीकृत किया गया था, जिसे विवेचना उपरांत धारा 70(1)/351(2) बीएनएस में तरमीम किया गया है।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री संजय राय(IPS) व क्षेत्राधिकारी लालगंज श्री आशुतोष मिश्रा के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी संग्रामगढ़ श्री सत्येन्द्र सिंह भदौरिया के नेतृत्व में थाना संग्रामगढ़ के उ0नि0 प्रशांत कटियार मय हमराह का० आनंद यादव व का० अभिमन्यु यादव द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वाछित, वारण्टी अभियुक्त, पेण्डिंग विवेचना के दौरान मुखबिर की सूचना पर अन्तर्गत धारा 87/69/70 (1)/351 (2) बी.एन.एस से संबंधित 01 अभियुक्त मोहित गौतम पुत्र अशोक गौतम उम्र करीब 21 वर्ष निवासी ग्राम पीरा नगर थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ को थाना कुण्डा क्षेत्रान्तर्गत ग्राम पीरा नगर अभियुक्त के घर के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
1. मोहित गौतम पुत्र अशोक गौतम उम्र करीब 21 वर्ष निवासी ग्राम पीरा नगर थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ।

पुलिस टीम का विवरण-
उ0नि0 प्रशांत कटियार मय हमराह का० आनंद यादव व का० अभिमन्यु यादव थाना संग्रामगढ़ जनपद प्रतापगढ़।